

PBR/विवाद/जा/भू-शा/2017/01532

# माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 17

विवाद

कोसाबाई पत्नी करण सिंह गूजर, आयु लगभग 81 वर्ष, व्यवसाय- गृहकार्य, निवासी- ग्राम झिर, पो. गेहूखेड़ा तहसील एवं जिला गुना (म.प्र.)

.....आवेदिका

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर गुना .....अनावेदक

## आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी. के तहत

श्रीमान जी,

आवेदिका की ओर से आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, प्रार्थिनी द्वारा कलेक्टर गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/स्व. निग/2012-13 में दिनांक 07.12.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण क्रमांक आर-692-पी.बी.आर.-17 पर दर्ज हुई थी।
2. यहकि, आवेदिका द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति लेने हेतु आवेदन दिनांक 25.04.2017 को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर आवेदिका अभिभाषक नकल लेने हेतु संपर्क करने पर उन्हें दिनांक 19.05.2017 बताया गया कि प्रकरण में आदेश पर निगरानी क्रमांक गलत अंकित हो गया है। उसे सुधारने की कार्यवाही की जायें।
3. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी में प्रारंभिक सुनवाई को दिनांक 11.04.2017 निगरानी आग्रह्य कर दी गई है किंतु माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.04.2017 में निगरानी क्रमांक 693-पी.बी.आर./2017 अंकित कर दिया गया है।
4. यहकि, उक्त निगरानी का प्रकरण क्रमांक 692-पी.बी.आर./2017 है किंतु माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.04.2017 में त्रुटिवश निगरानी प्रकरण क्रमांक 693-पी.बी.आर./2017 अंकित कर दिया गया है।

श्रीमान जी, प्रकरण क्रमांक 40/स्व. निग/2012-13 में दिनांक 07.12.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण क्रमांक आर-692-पी.बी.आर.-17 पर दर्ज हुई थी।

कलेक्टर गुना को  
राजस्व मण्डल, ग्वालियर  
दिनांक 25.04.2017

25/4/17

23/06  
 PBR/विनिर्देश/2017/श.स./2017/1532 मशरफ 28/5/2017

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभियन्तों आदि के हस्ताक्षर
7.6.2017	<p>आवेदक श्री ओर ल श्री भारत भूषण शर्मा (अभिभावक उपस्थित) उन्हें (पुत्रा गमा) उनके डाटा खताया गया कि आदेश दिनांक 11.4.2017 के शीर्षक में निगरानी प्रकल्प क्रमांक 692-PBR/2017 के स्थान पर सुनिश्चिता 693-PBR/2017 रोजित हो गया है। अतः आदेश के शीर्षक में निगरानी प्रकल्प क्रमांक 693-PBR/2017 के स्थान पर 692-PBR/2017 पढ़ा जाये। अतः आदेशिका सूच आदेश का अंग होगी। अतः इसमें पुनः उक्त आदेश में संशोधन की जाये।</p>	<p style="text-align: right;">7.6.17</p>

2

अध्यक्ष